MRA Sazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 17, 2013/पौष 27, 1934

No. 25]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 17, 2013/PAUSA 27, 1934

भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) (केन्द्रीय कार्यालय) अधिसूचना मुंबई, 2 जनवरी, 2013 विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा)

(संशोधन) विनियमावली, 2013

सा.का.नि. 26(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) र्क खंड (एफ) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 5/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

- (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलायेगी।
- (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू माने जायेंगे।

2.विनियमों में संशोधन -

विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.5/2000-आरबी) में, अनुसूची 3 में,

- (ए) पैराग्राफ 1 में, उप-पैरा (सी) में
 - (i) नोट्स ए में से "बंगलादेश" शब्द हटा दिया जाएगा:
 - (ii) नोट (बी) के बाद, निम्नलिखित नोट्स, अर्थात (सी) और (डी) जोड़े जाएंगे।

 "(सी) बंगलादेशीय राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा खाता/खाते खोलने की अनुमित
 प्राधिकृत व्यापारी अथवा प्राधिकृत बैंक द्वारा दी जा सकती है बशर्ते वह/वे इस बात से स्वयं
 संतुष्ट हों कि ऐसा व्यक्ति/ ऐसे व्यक्ति वैध वीज़ा और संबंधित विदेशी पंजीकरण कार्यालय
 (FRO) / विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) द्वारा जारी वैध निवासी परमिट का
 धारक हो /के धारक हों;

- (डी) बंगलादेशीय स्वामित्व वाली संस्थाओं (कंपनियों) के खाते खोलने के लिए रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होगी ।"
- (बी) पैराग्राफ 10 में, उप-पैरा (ii) के बाद निम्नलिखित उप-पैरा जोड़ा जाएगा

"(iii) किसी प्राधिकृत व्यापारी अथवा किसी प्राधिकृत बैंक द्वारा बंगलादेशीय राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा खाता/खाते खोलने पर उसकी सूचना प्राधिकृत व्यापारी अथवा प्राधिकृत बैंक की शाखा द्वारा उसके प्रधान कार्यालय को दी जाएगी और ऐसे प्राधिकृत व्यापारी अथवा प्राधिकृत बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारा ऐसे व्यक्ति का नाम / व्यक्तियों के नाम, पासपोर्ट नंबर, जारीकर्ता देश/राज्य (State) का नाम, विदेशी पंजीकरण कार्यालय (FRO) / विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRO) का नाम, निवासी परिमट जारी करने और उसकी वैधता की तारीख को अंतर्विष्ट करने वाली एक तिमाही रिपोर्ट गृह मंत्रालय (विदेशी प्रभाग) को तिमाही आधार पर अग्रसारित की जाएगी।"

स्पष्टीकरण: ' तिमाही आर्थार' पर का अर्थ प्रत्येक वर्ष मार्च/जून/सितंबर/दिसंबर को समाप्त तिमाही से है।"

[सं. फेमा 253/2013-आरबी]

रुद्र नारायण कर, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :

- (i) मूल विनियमावली 5 मई 2000 को जीएस.आर.सं.388 (ई) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गयी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी:
- (v) 09 अप्रैल 2002 के जी.एस.आर.सं.262(ई),
- (बी) 19 अगस्त 2002 के जी.एस.आर.सं.577(ई),
- (सी) 31 दिसंबर 2002 के जी.एस.आर.सं.855(ई),
- (डी) 4 अगस्त 2004 के जी.एस.आर.सं.494(ई),
- (ई) 7 अप्रैल 2005 के जी.एस.आर.सं.221(ई),
- (एफ) 14 नवंबर 2005 के जी.एस.आर.सं.663(ई),
- (जी) 19 जनवरी 2006 के जी.एस.आर.सं.28(ई),
- (एच) 23 जुलाई 2007 के जी.एस.आर.सं.495(ई),
- (आइ) 16 अक्तूबर 2007 के जी. म्स.आर.सं.664(ई),
- (जे) 14 नवंबर 2007 के जी.ए त.आर.सं.714(ई),
- (के) 15 फरवरी 2008 के र स.आर.सं.91(ई),
- (एल) 23 जून 2009 के जी.\ आर.सं.442(ई),
- (एम) 10 नवंबर 2012 के जी स.आर.सं.822(ई),
- (एन) -----(ई),
- (ओ) 30 अक्तूबर 2012 के जी.एस.आर.सं.798(ई),

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd January, 2013

Foreign Exchange Management (Deposit) (Amendment) Regulations, 2013

G.S.R. 26(E). —In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 5/2000-RB, dated May 3, 2000), namely:—

1. Short title and commencement:-

- (i) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Deposit) (Second Amendment) Regulations, 2013.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of the Regulations:-

In the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2000 (Notification No.FEMA.5/2000-RB dated May 3, 2000) in Schedule-3,

- (a) in paragraph 1, in sub-para (c)
 - (i) the word "Bangladesh" shall be omitted in Notes A;
 - (ii) the following Notes, namely (C) and (D) shall be inserted after Note B.
 - "(C) Opening of accounts by individual/s of Bangladesh nationality may be allowed by authorised dealer or authorised bank, subject to satisfying itself that the individual/s hold a valid visa and valid residential permit issued by Foreigner Registration Office (FRO)/ Foreigner Regional Registration Office (FRRO) concerned;
 - (D) Opening of accounts by entities of Bangladesh ownership requires approval of Reserve Bank."
- (b) In Paragraph 10, after sub-para (ii) the following sub-para shall be inaserted

"(iii) The accounts opened by an authorised dealer or an authorised bank in respect of individual/s of Bangladesh nationality shall be reported by the authorised dealer/ authorised bank branch to its Head Office and the Head Office of such authorised dealer/ authorised bank shall forward a quarterly report containing details of Name of the Individual(s), Passport Number, Issuing Country/State, Name of the FRO/ FRRO, Date of issue of Residential Permit and validity thereof, to the Ministry of Home Affairs (Foreigners Division) on Quarterly basis".

Explanation: 'Quarterly basis' means, quarter as at end of March/June/September and December of every year."

[No. FEMA. 253/2013-RB]

RUDRA NARAYAN KAR, Chief General Manager

Foot Note:

- (i) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R.No.388 (E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (1) and subsequently amended as under:
- (a) G.S.R. No. 262(E) dated April 9, 2002
- (b) G.S.R. No. 577(E) dated August 19, 2002
- (c) G.S.R. No. 855(E) dated December 31, 2002
- (d) G.S.R. No. 494(E) dated August 4, 2004
- (e) G.S.R. No. 221(E) dated April 7, 2005
- (f) G.S.R. No. 663(E) dated November 14, 2005
- (g) G.S.R. No. 28 (E) dated January 19, 2006
- (h) G.S.R. No. 495(E) dated July 23, 2007
- (i) G.S.R. No. 664(E) dated October 16, 2007
- (j) G.S.R. No.714 (E) dated November 14, 2007
- (k) G.S.R. No.91 (E) dated February 15, 2008
- (I) G.S.R. No.442 (E) dated June 23, 2009
- (m) G.S.R. No.822 (E) dated November 10, 2012
- (n) G.S.R. No. dated
- (o) G.S.R. No.798 (E) dated October 30, 2012